प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'नन्द बाबा पुरस्कार' की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-16)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्र संख्या-694/दुग्ध-4/नियो0/ नन्दबाबा पुरस्कार /2019-2020, दिनांक-31 दिसम्बर, 2019 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'नन्द बाबा पुरस्कार' प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या- 21/2018/1642-53-2-18-2(29)/2017 टीसी, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- भारतीय गोवंश की गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो तथा समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली0 दूध का विक्रय किया हो को विभिन्न स्तर पर गठित चयन समितियों द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर "नन्द बाबा पुरस्कार" के रूप में विकास खण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर क्रमश: रूपये 5100/- , रूपये 21000/- एवं रूपये 51000/- की दर से धनराशि तथा पीतल धातु पर एक शील्ड, जिस पर भारतीय गोवंश की गाय एवं बछडें के साथ नन्द बाबा की मूर्ति होगी को, प्रमाण पत्र के साथ वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्राविधानित धनराशि रू0 136.26 लाख के सापेक्ष रू0 9654570.00 (रू0 छियान्बे लाख चौवन हजार पांच सौ सत्तर मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा।

5- वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तत्काल उपलब्ध कराया जाय तथा उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान सं0-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- **'2404-डेरी विकास-800-अन्य व्यय-04-''नन्द बाबा पुरस्कार'' -42 अन्य व्यय''** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 2 /2020/ 14(1)/53-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
10- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को [illegible] आशय से प्रेषित कि [illegible] विभागीय वेबसा[illegible] पर प्रदर्शित करें।
12- गार्ड फा[illegible]।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।